

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

फा.सं.23 / 4 / समन—I / 2025 / वि.स.स.—VIII / विधायी / / ८६८ दिनांकः 21 फरवरी, 2025

आमंत्रण

मुझे आपको सादर सूचित करना है कि माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 21 फरवरी, 2025 को सहर्ष निम्नलिखित आदेश दिया है:--

''आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या—1) की धारा—6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की आठवीं विधानसभा का प्रथम सत्र सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 को पूर्वाहन 11.00 बजे से असेम्बली हॉल, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 में आहूत करता हूँ।

ह0 / – (विनय कुमार सक्सेना) उपराज्यपाल, दिल्ली"

मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप विधान सभा के सत्र में तदनुसार सम्मिलित हों।

भवदीय

(रंजीत सिंह)

सचिव

माननीय सदस्यगण, विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली



LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

F.No.23/4/Summon/S-I/2025/LAS-VIII/Legn.//085 Dated: 21.02.2025

SUMMONS

I have the honour to inform you that the Hon'ble Lieutenant Governor has been pleased to issue the following Order on 21st February, 2025:-

"ORDER

In exercise of the power conferred upon me by Section 6(1) of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No.1 of 1992), I, hereby summon the First Session of the Eighth Assembly of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on Monday, the 24th February, 2025 at 11.00 A.M.

Sd/-

Vinai Kumar Saxena Lieutenant Governor, Delhi"

I am to request you to attend the session of the Legislative Assembly accordingly.

Yours Sincerely,

(Ranjeet Singh) Secretary

Hon'ble Members, Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi.